29 12/17 वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहती। किन्तु कारण [illegible] चाहता है। वादी की पहचान श्री विकास [illegible] ने की। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पत्रावली किया जाता। वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली में नियमानुसार होकर [illegible] से दर्ज हो तथा बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
[illegible] (न्यायिक) [illegible]

अनुपालन [illegible]